

सूचना का अधिकार
उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जिला कटनी
संक्षिप्त जानकारी

1. संगठन का विवरण कार्य तथा कर्तव्य (अ) संगठन

- उपसंचालक - 01
- सहायक वर्ग 02 - 01
- सहायक वर्ग 03 - 03
- वाहन चालक - 01
- भृत्य - 01

कार्य -

- जिले के ग्रामीण एवं शहरी निकाय की गतिविधियों और सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजनों के लिये वार्षिक योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।
- किसी विधि द्वारा सोची गई योजना/उन योजनाओं जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई हो की वार्षिक योजना तैयार कराना।
- विभिन्न योजना की राशि जो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हो उन निधियों को राज्य सरकार द्वारा नियत मापदण्डों के अनुसार वितरित करना।
- नगरीय निकाय/जनपद पंचायत के साथ ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का समन्वयन मूल्यांकन, निगरानी करना एवं उनका मार्गदर्शन करना।
- विकास संबंधी क्रियाकलापों, निःशक्तों, निराश्रितों, महिलाओं, युवाओं, बालकों तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के कार्य।

2. अधिकारी एवं कर्मचारी की शक्ति एवं कर्तव्य

- **उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण**

उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण का समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण।

3. निर्णय लेने की प्रक्रिया में लागू होने वाली प्रणाली

- कार्यों के विभाजन के अनुसार विभिन्न शाखाओं के प्रभारियों (लेखा शाखा, स्थापना शाखा, सामाजिक सहायता, निःशक्त कल्याण, आवक-जावक शाखा, न्यायालयीन शाखा, पेंशन शाखा) द्वारा शासन से समय-समय पर प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक जानकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नियंत्रण अधिकारी अर्थात् उपसंचालक सामाजिक न्याय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उपसंचालक सामाजिक न्याय द्वारा जनहित एवं विकास की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये सुचारु क्रियान्वयन हेतु निर्णय लिया जाता है।
- यह कार्यालय राज्य शासन के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है।
- उपसंचालक द्वारा गतिविधियां के संचालन की नियमित निगरानी की जाती है। उपसंचालक द्वारा अधिकारी/कर्मचारी के कार्यों का निरीक्षण स्वयं किया जाता है। यदि इनमें किसी प्रकार की अनियमिततायें पायी जाती हैं तो उसके द्वारा प्रशासकीय कार्यवाही की जाती है।
- विभिन्न शाखा प्रभारियों द्वारा उन्हें सौंपी गई योजनाओं का निरीक्षण एवं मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाता है।
- विभिन्न शाखा प्रभारियों द्वारा उन्हें सौंपी गई योजनाओं का निरीक्षण मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाता है।

लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी/शाखा प्रभारियों का विवरण

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	दायित्व	दूरभाष
1	श्री गौरव पुष्प	प्रभारी उपसंचालक	लोक सूचना अधिकारी, उपसंचालक सामाजिक न्याय	9981091500
2	श्री जयन्त कुमार परेता	सहायक वर्ग 02	सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी पेंशन शाखा	9617315585
3	श्री मदन चौरसिया	सहायक वर्ग 03	लेखा शाखा, स्थापना शाखा, स्टोर, निराश्रित निधि	9826432056
4	श्री दीपक साहू	सहायक वर्ग 03	निःशक्त कल्याण,	8889060280
5	श्री भरत चौबे	सहायक वर्ग 03	सामाजिक सहायता, शिकायत शाखा	9826628428

4. मापदण्डों का निर्धारण कृत्यों के निर्वहन के लिये

- राज्य शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के पृथक-पृथक दिशा निर्देश तय किये गये हैं इन्हीं दिशा निर्देशों का पालन कृत्यों के निर्वहन हेतु किया जाता है।
- कृत्यों का पालन दिशा निर्देशों में दी गई समय-सीमा में किया जाता है।
- दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो रहा है कि नहीं इसका नियमित रूप से मूल्यांकन एवं समीक्षा की जाती है।

5. नियमन, निर्देश, निर्देशिका एवं रिकार्ड अभिनिर्धारित या नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिये इस्तेमाल होने के लिये।

- राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है।
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है।
- साथ ही संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पालन हेतु जानकारी/निर्देश दिये जाते हैं।

6. दस्तावेज प्रवर्गीकरण का कथन जो अनिर्धारित या नियंत्रण में हो।

- योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक रिकार्ड पृथक-पृथक शाखा प्रभारी स्तर पर/शाखा स्तर पर रखा जाता है।
- अभिलेखों का त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक निरीक्षण किया जाता है तथा वार्षिक सत्यापन भी किया जाता है।

7. लोक सदस्यों से नीतियों के विनिर्मित के संबंध में परामर्श करने की व्यवस्था का विवरण।

- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के अंतर्गत विभिन्न विभागों कार्यों के लिये परामर्श एवं सुचारु संचालन हेतु समितियां गठित की गई हैं।
 1. जिला लोकल लेवल कमेटी।
 2. दीनदयाल अन्वयोदय मिशन कार्यकारिणी समिति, प्रबंधकारिणी समिति।
 3. माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण जिला स्तरीय समिति।
- उपसंचालक द्वारा समिति से परामर्श एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु नियमित रूप से समय निर्धारित किया जाता है।

8. उन बोर्डों परिषदों कमेटियों तथा निकायों जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति उनके संगठन के भाग के रूप से अथवा उसके परामर्श के आशय के लिये रखे गये हैं, का विवरण एवं इस बात का विवरण किया क्या उनके बोर्डों परिषदों, कमेटियों तथा अन्य निकायों के सम्मिलन आम जनता के लिये सार्वजनिक रूप से खुले हैं।

- नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के तहत स्वपरायण प्रमस्तिष्कघात मानसिकमंद एवं बहुविकलांग निःशक्त हितग्राहियों हेतु जिला लोकल लेवल कमेटी गठित है।

9. अधिकारियों एवं कर्मचारियों/नियोजितों की निर्देशिका

- अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका शासन द्वारा निर्धारित की गई है अतः “ सिविल सेवा आचरण एवं अवकाश नियम एवं शर्तों का पालन किया जाता है।

10. मासिक पारिश्रमिक जो प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया जाता है उसके विनियमों में उपबंधित क्षतिपूर्ति/मुआवजे/प्रतिकार की पद्धति।

- शासन द्वारा निर्धारित किये गये वेतनमानों/मानदण्डों के अनुरूप भुगतान किया जाता है। जो निम्नानुसार है :-

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतन	ग्रेड पे	रिमार्क
1	श्री गौरव पुष्प	उपसंचालक	-	-	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह प्रभारी उपसंचालक
2	श्री जयन्त कुमार परेता	सहायक वर्ग 02	13940	2800	-
3	श्री मदन चौरसिया	सहायक वर्ग 03	12300	2800	-
4	श्री दीपक साहू	सहायक वर्ग 03	6650	1900	-
5	श्री भरत चौबे	सहायक वर्ग 03	5680	1900	-
6	श्री आदिल खान	वाहन चालक	11580	2800	-
7	श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय	भृत्य	9640	1800	-

11. अभिकरण का आवंटित बजट, समस्त योजनाओं के प्रस्तावित खर्च, भुगतान अदायगी इत्यादि।

1. प्रदेश के विकलांग छात्रों को शिक्षण-प्रशिक्षण के क्षेत्र में आर्थिक रूप से मदद देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाने का प्रयास करना।

- उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता, योजना के तहत।
- 10+2 के पश्चात् मेडीकल, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में स्नातक, स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय, अशासकीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियमित रूप से प्रवेश देकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना।
- शिक्षण शुल्क - सम्पूर्ण।
- निर्वाह भत्ता 1500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह का 15000/-
- परिवहन भत्ता नगर निगम क्षेत्र में 500/- रुपये प्रतिमाह, नगर पालिका क्षेत्र में 300/- प्रतिमाह की दर से 10 माह तक।

2. विकलांगों के विशेष साधन/उपकरण देना :-

- इस योजना के तहत दृष्टिबाधित/श्रवणबाधित एवं विकलांग व्यक्तियों का शारीरिक दोष दूर करने तथा सहायता हेतु विशेष साधन/उपकरण प्रदाय किया जाना, जिसके अंतर्गत डॉ की सलाह पर अंग प्रत्यारोपण कैलीपर्स, जूते, बैसाख्री, श्रवणयंत्र, ट्राईसाईकल, व्हील चेयर, छड़ी, इत्यादि उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं जो एलिम्को/भगवान महावीर पुर्नवास केन्द्र एवं इस कार्यालय के साथ स्थानीय निकायों के माध्यम से वितरण किया जाता है।

3. समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :-

पात्रता के मापदण्ड :-

- मध्यप्रदेश के मूल निवासी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले।
- 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध।
- 18 वर्ष से 39 वर्ष की विधवा।
- 18 से 59 वर्ष की परित्यक्तता महिला।
- 6 वर्ष से अधिक 18 वर्ष से कम आयु के निःशक्तजन (न्यूनतम निःशक्तता 40 प्रतिशत)

आवश्यक दस्तावेज :-

- फोटोयुक्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
- आयु के लिए कोई एक दस्तावेज- स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, मतदाता परिचय पत्र, जॉब कार्ड, चिकित्सक प्रमाण पत्र, उमग्र का कोई दस्तावेज उपलब्ध न होने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु संबंधी शपथ पत्र।
- निःशक्त होने पर चिकित्सक द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का प्रमाण पत्र।
- विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- परित्यक्तता होने पर सरपंच/सचिव, वार्ड पार्श्वद/राजस्व निरीक्षक का संयुक्त प्रमाण पत्र, न्यायालयीन आदेश।

पेंशन राशि :- राज्यांश से 150 रुपये प्रतिमाह।

4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :-

पात्रता के मापदण्ड :-

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 वर्ष अथवा अधिक आयु के वृद्ध/वृद्धा।

आवश्यक दस्तावेज :-

- फोटोयुक्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
- आयु के लिए कोई एक दस्तावेज- स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, मतदाता परिचय पत्र, जॉब कार्ड, चिकित्सक प्रमाण पत्र, उमग्र का कोई दस्तावेज उपलब्ध न होने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु संबंधी शपथ पत्र।

पेंशन राशि :-

- 60 वर्ष से 64 वर्ष - 200/- रुपये (केन्द्रांश) प्रतिमाह।
- 65 वर्ष से 79 वर्ष - 275/- (200/- रुपये केन्द्रांश 75/- रुपये राज्यांश) प्रतिमाह।

- 80 वर्ष से अधिक - 500/- रुपये (केन्द्रांश) प्रतिमाह।

5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :-

पात्रता के मापदण्ड :-

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु की विधवा महिला।

आवश्यक दस्तावेज :-

- फोटोयुक्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
- आयु के लिए कोई एक दस्तावेज- स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, मतदाता परिचय पत्र, जॉब कार्ड, चिकित्सक प्रमाण पत्र, उमग्र का कोई दस्तावेज उपलब्ध न होने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु संबंधी शपथ पत्र।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।

पेंशन राशि :- 300/- रुपये (केन्द्रांश) प्रतिमाह।

6. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :-

पात्रता के मापदण्ड :-

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 79 वर्ष आयु समूह के 80 प्रतिशत सीवियर डिसेबिलिटी वाले निःशक्तजन

आवश्यक दस्तावेज :-

- फोटोयुक्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
- आयु के लिए कोई एक दस्तावेज- स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, मतदाता परिचय पत्र, जॉब कार्ड, चिकित्सक प्रमाण पत्र, उमग्र का कोई दस्तावेज उपलब्ध न होने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु संबंधी शपथ पत्र।
- चिकित्सक द्वारा जारी 80 प्रतिशत निःशक्तता प्रमाण पत्र।

पेंशन राशि :- 300/- रुपये (केन्द्रांश) प्रतिमाह।

7. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

पात्रता के मापदण्ड :-

- मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
- दंपत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो।

- दंपत्ति की संतान मात्र पुत्री हो, पुत्रियों का विवाह हो चुका हो।
- दंपत्ति आयकर दाता न हो।

आवश्यक दस्तावेज :-

- फोटोयुक्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
- राशन कार्ड
- आयकर दाता नहीं होने एवं न ही संतान के रूप में पुत्र होने का 50 रुपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सत्यापित शपथ पत्र।
- आयु के लिए कोई एक दस्तावेज- स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, मतदाता परिचय पत्र, जॉब कार्ड, चिकित्सक प्रमाण पत्र, उमग्र का कोई दस्तावेज उपलब्ध न होने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु संबंधी शपथ पत्र।
- अन्य दस्तावेज- विधवा अथवा परित्यक्तता होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्तता हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति।

सहायता राशि :- 500/- रुपये (राज्यांश) प्रतिमाह।

8. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

पात्रता के मापदण्ड :-

- मृतक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य होना चाहिए।
- मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक 60 वर्ष से कम होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज :-

- फोटोयुक्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
- आयु के लिए कोई एक दस्तावेज- स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, मतदाता परिचय पत्र, जॉब कार्ड, चिकित्सक प्रमाण पत्र, उमग्र का कोई दस्तावेज उपलब्ध न होने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु संबंधी शपथ पत्र।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में एफ.आई.आर.

सहायता राशि :- 20,000/- रुपये (केन्द्रांश)

विशेष :-

- पेंशन योजनाएँ एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 में निहित है। इन योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् विहित प्राधिकारी अधिकृत हैं, योजनाओं में स्वीकृति, क्रियान्वयन हेतु सक्षम अधिकारी भी अधिकृत हैं।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को छोड़कर समस्त योजनाओं में आवेदन निराकरण के लिए 60 कार्य दिवस नियत हैं।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आवेदन निराकरण के लिए 30 कार्य दिवस हैं।

9. अन्त्येष्टि सहायता योजना :-

पात्रता के मापदण्ड :-

- मृतक मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत संचालित श्रमिक संवर्ग के रूप में पंजीकृत परिवार का सदस्य हो।
- मृतक लावारिस, अत्याधिक निर्धन या निराश्रित हो।

आवश्यक दस्तावेज :-

- मृतक के अंतिम संस्कार/विश्रामघाट/कब्रिस्तान आदि द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- दुर्घटना झगड़ा आदि की स्थिति में मृत्यु होने पर एफ.आई.आर।
- लावारिस शव होने पर एफ.आई.आर. एवं पंचनामा
- चिकित्सालय में मृत्यु होने की स्थिति में चिकित्सक का प्रमाण पत्र।

सहायता राशि :- 2000/- रुपये

10. आम आदमी बीमा योजना

पात्रता के मापदण्ड :-

- 18 से 59 वर्ष के व्यक्ति एवं सदस्य।
- ग्रामीण भूमिहीन परिवार का प्रमुख या परिवार का रोजगार करने वाला एक व्यक्ति हो सकता है।

आवश्यक दस्तावेज :-

- आयु प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड।
- मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र।

- अपंगता की दशा में जिला मेडिकल बोर्ड का निःशक्तता प्रमाण पत्र।

सहायता राशि :-

- दुर्घटना से मृत्यु होने पर अथवा दुर्घटना के कारण आंशिक/पूर्ण स्थाई अपंगता होने पर निम्न लाभ देय होंगे।
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75,000/- रुपये।
- दुर्घटना से स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर 75,000/- रुपये।
- बीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर 30,000/- का बीमा धन नामांकित व्यक्ति को देय होगा।
- 9 वी से 12 वी अध्ययनरत् 2 छात्र प्रति परिवार का प्रतिमाह 100/- रुपये शिक्षावृत्ति शासन द्वारा प्रदान की जावेगी।

11. जनश्री बीमा योजना

पात्रता के मापदण्ड :-

- 18 से 59 वर्ष के व्यक्ति एवं सदस्य।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीमित सदस्य।

आवश्यक दस्तावेज :-

- आयु प्रमाण पत्र।
- परिवार का मुखिया होने का प्रमाण पत्र।

सहायता राशि :-

- दुर्घटना से मृत्यु होने पर अथवा दुर्घटना के कारण आंशिक/पूर्ण स्थाई अपंगता होने पर निम्न लाभ देय होंगे।
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75,000/- रुपये।
- दुर्घटना से स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर 75,000/- रुपये।
- दुर्घटना में एक आँख या एक हाथ या पाँव अक्षम होने पर 37,000/- रुपये।
- बीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर 30,000/- का बीमा धन नामांकित व्यक्ति को देय होगा।
- 9 वी से 12 वी अध्ययनरत् 2 छात्र प्रति परिवार का प्रतिमाह 100/- रुपये शिक्षावृत्ति शासन द्वारा प्रदान की जावेगी।

12. मंदबुद्धि/बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना

पात्रता के मापदण्ड :-

- 6 वर्ष या इससे अधिक आयु समूह के मानसिक मंदित/बहुविकलांग निःशक्तजन।

आवश्यक दस्तावेज :-

- संयुक्त फोटोयुक्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
- आवेदन के साथ मानसिक मंदित/बहुविकलांग होने का न्यूनतम 40 प्रतिशत का निःशक्तता प्रमाण पत्र।
- राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता।
- आयु जाति, निवास का प्रमाण पत्र।

सहायता राशि :-

- 500/- रुपये प्रतिमाह राज्यांश

13. निःशक्तजन अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन योजना 2008

पात्रता के मापदण्ड :-

- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- लोक सेवा आयोग/संघ लोक सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण हों।

आवश्यक दस्तावेज :-

- प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा में एवं अंति चयन होने का प्रमाण पत्र।
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 03 माह के भीतर निर्धारित आवेदन जिले के उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

सहायता राशि :-

- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20,000/- रुपये
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30,000/- रुपये
- अंतिम चयन होने पर 20,000/- रुपये
- प्रोत्साहन राशि प्रत्येक स्तर पर किसी अभ्यर्थी को एक ही बार देय होगी।

14. निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना 2008

पात्रता के मापदण्ड :-

- निःशक्त दंपति मध्यप्रदेश का निवासी हो।

- दंपत्ति में से दोनो या एक कोई भी निःशक्त हो जिसे जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा कम से कम 40 प्रतिशत का निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।
- दंपत्ति में से कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो।
- विवाह का पंजीयन सक्षम अधिकारी (विवाह अधिकारी) का होना आवश्यक है।
- विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम न हों।
- दंपत्ति का विवाह धार्मिक/सामाजिक रीति रिवाज या समक्ष न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से हुआ हो।

आवश्यक दस्तावेज :-

- निःशक्तता प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- विवाह प्रमाण पत्र (विवाह पंजीयन सक्षम अधिकारी का)
- निर्धारित प्रारूप में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।

सहायता राशि :-

- दंपत्ति में से कोई भी एक की निःशक्तता प्रमाण पत्र होने पर 50,000/- रुपये का संयुक्त नाम से बैंक एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जावेगा।
- दंपत्ति के दोनो सदस्यों के निःशक्तता प्रमाण होने पर 1,00,000/- रुपये का संयुक्त नाम से बैंक एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जावेगा।

टीप- प्रोत्साहन राशि केवल एक बार देय होगी। विवाह विच्छेद की स्थिति में प्रोत्साहन राशि की संपूर्ण राशि दंपत्ति वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे और वह राशि भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

15. निःशक्त छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु योजनाएं

पात्रता के मापदण्ड :-

- कक्षा 8 वी की परीक्षा 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने एवं 9 वी कक्षा में नियमित प्रवेश लेने तथा 10 वी की परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं 11 वी में नियमित प्रवेश लेने पर।
- कक्षा 12 वी की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने एवं महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लेने पर।
- निःशक्त छात्रवृत्ति नियमित अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को कक्षा 1 से 12 तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

आवश्यक दस्तावेज :-

- परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- निःशक्तता प्रमाण पत्र।
- नियमित रूप से अध्ययनरत् का संबंधित संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण।

सहायता राशि :-

- कक्षा 8 वी की परीक्षा 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने एवं नियमित प्रवेश लेने पर 2500/- प्रत्येक वार प्रोत्साहन राशि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है।
- कक्षा 10 वी की परीक्षा 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने एवं नियमित प्रवेश लेने पर 2500/- प्रत्येक वार प्रोत्साहन राशि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है।
- कक्षा 12 वी की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने एवं महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लेने पर 3000/- एक मुश्त उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा स्वीकृत की जाती है।

16. विभागीय मान्यता प्राप्त संचालित अशासकीय संस्थाएं :-

1. भारतीय रेडक्रास सोसायटी कटनी
2. भगवान महावीर विकलांग पुर्नस्थापन केन्द्र कटनी
3. स्वावलंबन विकलांग पुर्नस्थापन एवं अनुसंधान केन्द्र कटनी
4. राजीव कुमार समाज कल्याण ग्राम विकास शोध संस्थान झिंझरी कटनी
5. कर्मयोग समिति नई बस्ती कटनी
6. मनोज मानव विकास समिति कैमोर जिला कटनी

12. अनुदान के प्रोग्राम के प्रवर्तन की रीति और आवंटित रकमों और ऐसे प्रोग्रामों के हितग्राहियों के विवरण :-

- जिला अंतर्गत संचालित निम्न अशासकीय संस्थाओं को जो कि निःशक्त कल्याण तथा वृद्धजनों के कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं को प्रतिवर्ष संचालनालय से बजट अनुमोदन पश्चात् अनुदान प्रदाय किया जाता है।
 1. भारतीय रेडक्रास सोसायटी कटनी
 2. भगवान महावीर विकलांग पुर्नस्थापन केन्द्र कटनी
 3. स्वावलंबन विकलांग पुर्नस्थापन एवं अनुसंधान केन्द्र कटनी
 4. राजीव कुमार समाज कल्याण ग्राम विकास शोध संस्थान झिंझरी कटनी

13. दी गई रियायतों/सुविधाओं, अनुज्ञा पत्रों या मंजूर किये गये प्राधिकारों को प्राप्त करने वालों की विशिष्टियां :-
- शासकीय सेवा में कार्यरत निःशक्त विकलांग व्यक्ति को वृत्तिकर छूट प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
14. धारित इलेक्ट्रानिक्स फार्म में सूचना के बारे में विवरण :-
- योजनाओं के साथ-साथ अन्य जानकारियां भी कम्प्यूटाईज की गई हैं एवं समस्त अभिलेख कम्प्यूटर पर तैयार करने के पश्चात् उन्हें इलेक्ट्रानिक्स रूप से सुरक्षित रखा जाता है। जानकारी मध्यप्रदेश समग्र पोर्टल के विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
15. नागरिकों को सूचनायें प्राप्त करने के प्राप्यनीय सुविधाओं की विशिष्टियां पर वाचनालय या रीडिंग रूम के कार्यकारी घंटे :-
- नागरिकों द्वारा जानकारी मांगने पर कार्यालय में जानकारी सुरक्षित रखी गई है।
 - जानकारी मध्यप्रदेश समग्र पोर्टल के साथ विभागीय वेबसाईट www.socialjustice.mp.gov.in में उपलब्ध है।
16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम/पद संख्या :-
- अपीलीय अधिकारी - श्री विकास सिंह नरवाल, कलेक्टर जिला कटनी।
 - लोक सूचना अधिकारी - श्री गौरव पुष्प, उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण कटनी।
 - सहायक लोक सूचना अधिकारी - श्री जयन्त कुमार परेता, सहायक वर्ग 02 कार्यालयीन।
17. ऐसी अन्य सूचनायें जो विहित की जायें :-
- आवश्यकता अनुसार।